रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एम.)-72 REGISTERED NO. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 569] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 21, 1984/कार्तिक 30, 1906
No. 569] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOV. 21, 1984/KARTIKA 30, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 नवम्बर, 1984

का. आ. 869(अ).—केन्द्रीय सरकार, विदेशी अभिदाय (विनियमन) संशोधन अध्यादेश, 1984 (1984 का 12) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तारीख 1 जनवरी, 1985 को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिसको उक्त अध्यादेश की धारा 4 और धारा 6 प्रवृत्त होंगी ।

[सं. 11/21022/10(8)/84-एफ.सी.आर.ए.-1]

सुरजीत सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st November, 1984

S.O. 869(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Foreign Contribution (Regulation) Amendment Ordinance, 1984 (12 of 1984) the Central Government hereby appoints 1st January, 1985 as the date on which sections 4 and 6 of the said Ordinance shall come into force.

[No. 11|21022|10(8)|84-FCRA.I]

SURJIT SINGH, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1984